प्रेस विज्ञप्ति
31.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर आंचलिक कार्यालय ने माननीय प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश (नामित विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर) की अदालत में नरेश कुमार @ नरेश गुलिया, अतीउल रहमान मीर, अजय कुमार @ अजय कुमार चौधरी और रमेश @ रमेश गुलिया के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 31/12/2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है।

ईडी ने अवैध फर्जी क्रिप्टोकरेंसी योजना "इमोलिएंट कॉइन" के मामले में अतीउल रहमान मीर (लेह निवासी) और अजय कुमार @ अजय कुमार चौधरी (जम्मू निवासी) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420 के तहत पुलिस स्टेशन लेह में लद्दाख पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि नरेश गुलिया (सोनीपत, हरियाणा निवासी) नकली क्रिप्टोकरेंसी "इमोलिएंट कॉइन्स" और चेन (मल्टी-लेवल) मार्केटिंग व्यवसाय चलाने का असली मास्टरमाइंड था। उसने उक्त धोखाधड़ी योजना के लिए एक नकली मोबाइल एप्लिकेशन "इमोलिएंट कॉइन" भी डिजाइन और विकसित की, जो पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था। निवेशकों को धोखा देने के बाद, उक्त कंपनी को जानबूझकर 05-03-2019 को बंद कर दिया गया। यह योजना नरेश गुलिया द्वारा अजय कुमार चौधरी और अतीउल रहमान मीर के साथ मिलीभगत करके 10 महीनों की अवधि के भीतर निवेशक/ग्राहकों के निवेश को दोगुना करने के धोखाधड़ी वाले आश्वासन के साथ शुरू की गई थी। यह भी आश्वासन दिया गया था कि निवेशकों को उनके निवेश के बदले उचित समय पर भूमि का टुकड़ा प्रदान किया जाएगा। लॉक-इन अवधि पूरी होने से पहले नरेश गुलिया द्वारा उक्त नकली सिक्के का मूल्य कृत्रिम रूप से बढ़ाया और घटाया गया था और उक्त मोबाइल एप्लिकेशन अक्टूबर-नवंबर 2019 के महीने में अचानक काम करना बंद कर दिया था। जांच में पता चला कि नरेश गुलिया ने अतीउल रहमान मीर और अजय कुमार चौधरी के साथ मिलीभगत करके सैकड़ों भोले-भाले लोगों को धोखा दिया, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई खो दी। जांच में पता चला कि नरेश गुलिया, अतीउल रहमान मीर और अजय कुमार चौधरी के पास 16.81 करोड़ रुपये के अपराध के आगम (पीओसी) थी, जिसे लेह और जम्मू के निर्दोष निवेशकों को नकली क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के लिए लुभाकर और नकली क्रिप्टोकरेंसी अर्थात इमोलिएंट कॉइन में उनके निवेश के बदले भूमि का टुकड़ा प्रदान करने के बहाने एकत्र किया गया था।

जांच के दौरान, ईडी ने नरेश गुलिया के आवास से तलाशी कार्रवाई के दौरान 91 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं और इसके बाद नरेश गुलिया, अजय कुमार चौधरी, अतीउल रहमान मीर, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों की 13 अचल संपत्तियों और दो बैंक खातों में 6 करोड़ रुपये की शेष राशि को कुर्क कर दिया है। कुर्क की गई अचल संपत्तियां जम्मू, नई दिल्ली और सोनीपत (हरियाणा) में स्थित हैं।

ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के जवाब में, माननीय विशेष न्यायालय, श्रीनगर ने आरोपी व्यक्तियों को 28.02.2026 को पेश होने के लिए पूर्व-संज्ञान नोटिस जारी किया है।

शेष अपराध के आगमों का पता लगाने और शेष अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आगे की जांच जारी है।